प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (जून 1994) के निर्णयानुसार, जहाँ कहीं एक वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय I प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निहित आँकड़े, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख-सूचकांकों के वृहत् राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/ अधिशेष सहित राजकोषीय स्थिति पर विहंगावलोकन उपलब्ध कराता है।

अध्याय II यह अध्याय संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखाओं पर आधारित प्रमुख राजकोषीय समग्रों, ऋण रूपरेखा और प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों, तत्कालीन संघ शासित क्षेत्र के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराता है।

अध्याय III संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विनियोग लेखे पर आधारित है और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विनियोगों तथा आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अध्याय IV संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं की गुणवत्ता और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अननुपालन मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय V सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों के प्रभाव पर टिप्पणी करता है।

विभिन्न विभागों में संव्यवहारों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों, सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा और राजस्व प्राप्तियों को शामिल करने वाला प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।